प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

प्रकरण 136

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

114/2020 सुरेश कुमार बनाम सरकार

नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

04/10/2021

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि वादग्रस्त आराजी की खातेदारी में प्रार्थी का नाम पवन कुमार पुत्र छोटूराम दर्ज रिकार्ड है जो गलत है। प्रार्थी का सही नाम सुरेश कुमार पुत्र छोटूराम है। परन्तु राजस्व रिकार्ड बनाते समय सहवन से वादग्रस्त आराजी में खातेदार प्रार्थी का बोलता नाम पवन कुमार पुत्र छोटूराम गलत दर्ज कर दिया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स, बैंक खाता पासबुक, टी.सी. की प्रतियां पेश की जिनमें प्रार्थी का सही नाम सुरेश कुमार पुत्र छोटूराम दर्ज है।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी खातेदार का नाम पवन कुमार पुत्र छोटूराम गलत दर्ज कर दिया। प्रार्थी का कथन कि खातेदार प्रार्थी का सही नाम सुरेश कुमार पुत्र छोटूराम है की पुष्टि आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स, बैंक खाता पासबुक, टी.सी. की प्रतियों से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा निम्नानुसार दुरुस्ती के आदेश दिये जाते है:–

राजस्व ग्राम	भूमि का विवरण	वर्तमान प्रविष्टि	अमल दरामद की जाने वाली प्रविष्टि
नृसिंहपुरी	खाता सं0 30	पवन कुमार पुत्र छोटूराम	सुरेश कुमार पुत्र छोटूराम

शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.27 16:46:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner